रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 254] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 11, 2010/आश्विन 19, 1932
No. 254] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 11, 2010/ASVINA 19, 1932

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2010

सं. 28-14/2010 स्नातकीय विनियम.— भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 36 की उपधारा (1) के खण्ड (झ), तथा (ट) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) (संशोधन) विनियम, 1989 तथा संशोधन विनियम, 2005 द्वारा संशोधित में आगे संशोधन करते हुये निम्नलिखित विनियम बनाती है, यथा :—

(1) इन विनियमों का नाम भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) (संशोधन) विनियम, 2010 है।

(2) ये विनियम भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवत्त होंगे।

1. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) (संशोधन) विनियम, 1989, यथासंशोधित, 2005 में विद्यमान अनुसूची I ,में विनियम संख्या 8.3(i) की कम संख्या 6 के बाद नई कम संख्या 7 "पंचकर्मा" के रूप में सम्मिलित करके निम्नलिखित जोड़े जायेंगे।
2. अनिवार्य विशिखानुप्रवेश शीर्षक के विनियम संख्या 9 (क) के अन्तर्गत (क) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा :—

ऐसे नैदानिक प्रशिक्षण के नौ (09) माह तथा तीन (03) माह फार्मेसी / पी.एच.सी./ग्रामीण औषधालय अथवा अस्पताल में तीन माह पूरे करने होंगे।

कार्यक्रम तथा काल वितरण निम्नवत् होगाः–

1. प्रारम्भ में, विशिखानुप्रवेश की अवधि के पहले तीन दिन विशिखानुप्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम के विस्तृत विवरण तथा नियमों से प्रशिक्षुओं को परिचित होने के अनुकूल बनाने हेतु अनुकूलन कार्यशाला।

2. विशिखानुप्रवेशीय कार्य–पुस्तिका का वितरण।

3. विशिखानुप्रवेश प्रारम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित बोर्ड/परिषद् से अस्थायी पंजीकरण।

4. कम से कम आठ घंटों का दैनिक कार्यकाल।

5. निम्न विवरण के अनुसार नैदानिक प्रशिक्षण के लिये नौ माह, फार्मेसी में तीन माह तथा पी.एच.सी. /ग्रामीण औषधालय/अस्पताल/पी.एच.सी में तीन माह।

क. नौ माह के लिये महाविद्यालय से सम्बन्धित शिक्षण अस्पताल अथवा किसी अन्य अनुमोदित आयुर्वेद अस्पताल, जो कि निम्नवत् है, में नियुक्ति :–

1.	कायचिकित्सा	2 माह
2.	शल्य	2 माह
3.	शालाक्य	1 माह
4.	प्रसूति एवं स्त्रीरोग	2 माह
5.	कौमार भत्य	1 माह
6.	पंचकर्म	1 माह

ख. निम्नलिखित एक अथवा अधिक संस्थाओं में मुख्यतः राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के संबंध में तीन माह का प्रशिक्षण होना चाहिये।

(i) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

(ii) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ जिला अस्पताल

(iii) हताहत तथा अभिघात मामलों की पहचान हेतु निदेशक/स्वास्थ्य सेवाओं /सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा किसी मान्यताप्राप्त आधुनिक चिकित्सा के अस्पताल

(iv) आयुर्वेद के निदेशक/सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा किसी मान्यताप्राप्त आयुर्वेदिक अस्पताल अथवा औषधालय

यदि किन्ही मामलों में, आधुनिक चिकित्सा के किसी अस्पताल तथा पी.एच.सी में नियुक्ति सम्भव न हो तब पूरे तीन माह की नियुक्ति आयुर्वेदिक औषधालय/अस्पताल में होगी।

प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु विस्तृत दिशा निर्देश

1. कायचिकित्सा 2 माह

क) आयुर्वेदिक चिकित्सा द्वारा सभी नैत्यक कार्य जैसे केस लेना, जांच, रोग निदान तथा सामान्य रोगों का प्रबन्धन।

ख) नैत्यक नैदानिक रोगात्मक कार्य जैसे आयुर्वेदिक विधि इत्यादि द्वारा हिमोग्लोबिन का आंकलन, हीमोग्राम, मूत्र विश्लेषण, रक्त परजीवियों का सूक्ष्मदर्शीय परीक्षण, लार/थूक/कफ परीक्षण, मल परीक्षण, मूत्र एवं मल परीक्षा। प्रयोगशाला के ऑकड़ों का प्रतिपादन तथा नैदानिक जांच तथा निदान करना। नैत्यक वार्ड प्रकिया में प्रशिक्षण।

ग) रोगी के आहार तथा आहार संबंधी आदतों की देख–रेख करना तथा औषधि कार्यक्रम का सत्यापन करना।

2. पंचकर्म – 1 माह

1. पूर्व कर्म, प्रधान कर्म तथा पश्चात् कर्म संबंधी पंचकर्म प्रकिया तथा तकनीक।

3. शल्य – 2 माह

प्रशिक्षु को निम्नलिखित से परिचित कराने हेतु प्रशिक्षित किया जाना चाहिये–

क) आयुर्वेदिक सिद्धान्तों के अनुसार सामान्य शल्य विकार का निदान तथा प्रबन्धन।
ख) अवश्य सम्भावी शल्य आपात्काल जैसे अस्थिभंग तथा सन्धि–च्युति, एक्यूट एब्डोमेन इत्यादि का प्रबन्धन।
ग) असेप्टिक, एन्टीसेप्टिक तकनीक तथा जीवाणुनाशन इत्यादि का व्यावहारिक कार्यान्वयन।
घ) प्रशिक्षु को पूर्व–शल्य तथा पश्चात् शल्य प्रबन्धनों में सम्मिलित किया जाना चाहिये।
ड) संवेदनाहारी तकनीक तथा संवेदनाहारी औषध का व्यावहारिक प्रयोग।
च) विकिरण चिकित्सा विज्ञान प्रकिया, एक्स–रे आदि का नैदानिक प्रतिपादन, आई.वी.पी., बेरिअम मील, सोनोग्राफी इत्यादि।
छ) शल्य प्रकिया तथा नैत्यक वार्ड तकनीक, जैसे :–
i ताजा कटे/घाव को टांका लगाना
ii घाव, जले, फोड़े की मरहम–पट्टी
iii फोड़े का चीरा
iv रसौली का उच्छेदन
v शिराशल्यकिया
ज) फिस्तुला–इन–अनो में क्षार–सूत्र का अनुप्रयोग

4. शालाक्य 1 माह

प्रशिक्षु को निम्नलिखित से परिचित कराने हेतु प्रशिक्षित किया जाना चाहिये–

क) आयुर्वेदिक सिद्धान्तों के अनुसार सामान्य शल्य विकार का निदान तथा प्रबन्धन।
ख) प्रशिक्षु को पूर्व कियात्मक तथा उत्तर–कियात्मक प्रबन्धनों में आवेष्टित किया जाना चाहिये।
ग) कान, नाक, कंठ, दंत्य समस्याओं तथा नेत्र संबंधी समस्याओं हेतु शल्य प्रकिया।
घ) नेत्र, कान, नाक, कंठ विकारों की ओ.पी.डी. जॉच, अपवर्तक त्रुटि जांच, निदान हेतु नेत्र प्रदान ग्रस्तता संबंधी उपकरण, नेत्र रोग, बधिरता हेतु विभिन्न परीक्षण इत्यादि।
ड़) ओ.पी.डी. स्तर पर प्रक्रियाएं, जैसे– अंजना कर्म, नास्या, रक्तामोक्षण, कर्णपुराण, शिरोधारा, पुट पाक, कवल, गंडुश इत्यादि।

5. **प्रसूति एवं स्त्रीरोग – 2 माह**

प्रशिक्षु को निम्नलिखित से परिचित कराने हेतु प्रशिक्षित किया जाना चाहिये–

क) प्रसव– प्रतिरोधी तथा प्रसवोत्तर समस्याऐं तथा उनका उपचार, प्रसव– प्रतिरोधी तथा प्रसवोत्तर अनुरक्षण।
ख) सामान्य तथा असामान्य प्रसव का प्रबंधन।
ग) लघु तथा मुख्य प्रासविक शल्य प्रकियाऐं इत्यादि।

6. **कौमार भत्य – 1 माह**

प्रशिक्षु को निम्नलिखित से परिचित कराने हेतु प्रशिक्षित किया जाना चाहिये–

क) आयुर्वेदिक सिद्धान्तों तथा चिकित्सा के द्वारा भी प्रसव–प्रतिरोधी तथा प्रसवोत्तर समस्याऐं तथा उनका उपचार, प्रसव–प्रतिरोधी तथा प्रसवोत्तर अनुरक्षण।
ख) प्रसव– प्रतिरोधी तथा प्रसवोत्तर आपातकाल।
ग) टीकाकरण योजना के साथ नवजात शिशु की देखभाल।
घ) महत्तवपूर्ण कौमार भत्य संमस्याऐं तथा उनका आयुर्वेदिक प्रबंधन।

ख पी.एच. सी/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/जिला अस्पताल

प्रशिक्षु को परिचित कराया जाना चाहिये।

i. पी.एच. सी की नित्यचर्या तथा उनके अभिलेख का अनुरक्षण।
ii. प्रशिक्षुओं को पी.एच.सी.के चिकित्सा/गैर चिकित्सा स्टॉफ की नित्यचर्या से परिचित होना चाहियें तथा इस अवधि में उन्हें स्टॉफ के साथ सदैव सम्पर्क में रहना चाहियें।
iii. उन्हें पंजिका उदाहरण स्वरूप दैनिक रोगी पंजिका, परिवार नियोजन पंजिका, शल्य पंजिका के अनुरक्षण के कार्य से परिचित होना चाहिये तथा विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं में सकिय रूप से भाग लेना चाहिये।
iv. उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यकमों में सकिय रूप से भाग लेना चाहियें।

आधुनिक चिकित्सा के किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल का आपातकाल विभाग

हताहत तथा अभिघात मामलों की पहचान तथा उनका प्राथमिक उपचार। साथ ही ऐसे मामलों को संबंधित अस्पतालों के पास भेजने की प्रकिया भी।

ग्रामीण आयुर्वेदिक औषधालय / अस्पताल

ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में अधिक प्रचलित रोग तथा उनका सामान्य उपचार।

ग्रामीण जनता को स्वास्थ्य अनुरक्षण विधि का शिक्षण तथा विभिन्न प्रतिरक्षण कार्यकम भी।

मूल्यांकन

विभिन्न विभागों में उन्हें आबंटित किये गये कार्य को पूरा करने के पश्चात् उन्हें संबंधित विभाग में उनके द्वारा किये गये सेवानिष्ठ कार्य के संबंध में विभागाध्यक्ष द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र प्राप्त करना है तथा अन्ततः उसे संस्थान के प्रधानाचार्य/प्रधान के समक्ष प्रस्तुत करना है जिससे कि सफलतापूर्वक किये गये विशिखानुप्रवेश का समापन स्वीकृत किया जा सकें ।

3. क. अनुच्छेद 12 के "प्रश्नपत्रों की संख्या और सिद्धान्त/कियात्मक के लिये अंक" शीर्षक के अन्तर्गत क्रम संख्या 15 के रूप में निम्नानुसार प्रतिस्थापित की जायगी :–

विषय	प्रश्नपत्रों की संख्या	सैद्धांतिक कुल अंक	प्रायोगिक /मौखिक कुल अंक
15.कायचिकित्सा	तीन	300	150

ख. अनुच्छेद 12 के "प्रश्नपत्रों की संख्या और सिद्धान्त/कियात्मक के लिये अंक" शीर्षक के अन्तर्गत क्रम संख्या 19 के रूप में निम्नानुसार जोड़ी जायगी :–

विषय	प्रश्नपत्रों की संख्या	सैद्धांतिक कुल अंक	प्रायोगिक/मौखिक कुल अंक
19.पंचकर्म	एक	100	50

4. क अनुच्छेद 13.1 के "विभिन्न विषयों के लिये व्याख्यानों, प्रायोगिकों तथा निर्देशनों की संख्या" शीर्षक के उपशीर्षक "तृतीय व्यावसायिक के विषयं" के अर्न्तगत कम संख्या 15 के रूप में निम्नानुसार प्रतिस्थापित की जायगी :–

विषय	व्याख्यान	प्रायोगिक एवं निर्देशन
15.कायचिकित्सा	300	9 माह

ख." अनुच्छेद 13.1 के "विभिन्न विषयों के लिये व्याख्यानों, प्रायोगिकों तथा निर्देशनों की संख्या" शीर्षक के उपशीर्षक "तृतीय व्यावसायिक के विषयं" के अर्न्तगत कम संख्या 19 के रूप में निम्नानुसार जोडी जायगी :–

विषय	व्याख्यान	प्रायोगिक एवं निर्देशन
19.पंचकर्म	100	4 माह

5. अनुच्छेद 14 के "अध्यापकों के लिये अर्हताएं एवं अनुभव" शीर्षक के उपशीर्षक "टिप्पणी" के अन्तर्गत नई कम संख्या 8 के रूप में निम्नानुसार सम्मिलित की जायगी :–

विषय का नाम	स्नातकोत्तर शिक्षण
8.पंचकर्म	कायचिकित्सा

प्रेमराज शर्मा, निबन्धक-एवं-सचिव

[विज्ञापन III/4/124/10/असा.]

3974 61/10-2

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th October, 2010

No. 28-14/2010-UG Regl.—In exercise of the powers conferred by Clauses (i), and (k) of Sub-Section (1) of Section 36 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Council of Indian Medicine with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following Regulations to further amend the "Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of Education in Indian Medicine) (Amendment) Regulations, 1989" and amended vide Regulations Amendment, 2005 namely:-

(1) These regulations may be called the Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of Education in Indian Medicine) (Amendment) Regulations, 2010

(2) These regulations shall come into force with effect from the date of publication in the Gazette of India.

1. In the Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of Education in Indian Medicine) (Amendment) Regulations, 1989, as Amended, 2005 in the existing Schedule I, the following shall be added after the Sl.No.6 of Regulation No.8.3 (i) by inserting as new Sl.No.7 the "Panchkarma".

2. Under Regulation No.9 (a) in the heading of Compulsory Internship shall be substituted the (a) as under:-

Nine (09) months of such clinical training and three (03) months Pharmacy/3 months in PHC/Rural Dispensaries or Hospital, shall be carried out.

The Programme and time distribution will be as follows:-

1. In the beginning first three days of internship period orientation Workshop to orient the internees to get acquainted with the details and rules of Internship training programme.

2. Distribution of Internee work-book for interns.

3. Provisional Registration with concerned Board/Council before starting the internship.

4. Daily working hours not less than eight hours.

5. Nine months for clinical training, three months in a Pharmacy and three months in PHC/Rural Dispensary/Hospital/PHC as detailed below.

A. Posting in college concerned teaching hospital or any other approved Ayurved hospital for nine months as follows:-

1. Kayachikitsa	2 months
2. Shalya	2 months
3. Shalakya	1 month
4. Prasuti & Streeroga	2 months
5. Kaumarbhritya	1 month
6. Panchkarma	1 month

B. Three months training should be mainly in respect of National Health Programme in one or more following Institutions:-

(i) Primary Health Centre.
(ii) Community Health Centre/District Hospital
(iii) Any recognized Hospital of Modern Medicine by Director/ Health Services/University concerned for identification of casualty and trauma cases.
(iv) Any recognized Ayurvedic Hospital or Dispensary by the Director of Ayurved/University concerned.

In cases where posting in a hospital of modern medicine is not feasible and also in PHC then entire three months posting may be in Ayurvedic Dispensary/Hospital.

Detail Guideline for training programme.

1. Kayachikitsa 2 months

a) All routine work such as case taking, investigations, diagnosis and management of common diseases by Ayurvedic Medicine.

b) Routine clinical pathological work i.e. Haemoglobin estimation, haemogram, urine analysis, microscopic examination of blood parasites, sputum examination, stool examination, mutra evum mala pariksha by Ayurvedic method. etc. Interpretation of laboratory data and clinical findings and arriving at a diagnosis. Training in routine ward procedures such as

i. Supervise patients' diet and diet habits and verify medicine schedule.

2. Panchkarma – 1 month

i) Panchkarma Procedures and techniques regarding poorva karma, pradhan karma and paschat Karma.

3. Shalya -- 2 months

Intern should be trained to acquaint with

a) Diagnosis and management of common Surgical disorders according to Ayurvedic Principles.

b) Management of certain Surgical emergencies such as Fractures and Dislocations, Acute Abdomen etc.

c) Practical implementation of aseptic, antiseptics techniques and sterilization etc.

d) Intern should be involved in pre-operative and post-operative managements.

e) Practical use of anesthetic techniques and use of anesthetic drugs.

f) Radiological procedures, clinical interpretation of X-ray, IVP, Barium meal, sonography etc.

g) Surgical procedures and routine ward techniques such as :-

i. Suturing of fresh cut
ii. Dressing of wounds, burns, ulcers etc.
iii. Incision of abscesses.
iv. Excision of cysts.
v. Venesection etc.

h) Application of Kshar-sutra in fistula-in-ano.

4. Shalakya -- 1 month

Intern should be trained to acquaint with

a) Diagnosis and management of common Surgical disorders according to Ayurvedic Principles.

b) Intern should be involed in Pre-operative and Post-operative managements.

c) Surgical procedures in Ear, Nose, Throat, Dental problems and Ophthalmic problems.

d) OPD examinations of Eye, Ear, Nose, Throat Disorders, Refractive Error examination, ophthalmic equipments for diagnosis, ophthalmic diseases, various tests for deafness etc.

e) Procedures like Anjana Karma, Nasya, Raktamokshan, 'Karnapuran, Shirodhara, Put pak, Kawal, Gandush etc. at OPD level.

5. Prasuti & Striroga -- 2 months

Intern should be trained to acquaint with

a) Anti-natal and post-natal problems and their remedies, Anti-natal and Post-natal care.

b) Management of normal and abnormal labours.

c) Minor and major obstetric surgical procedures etc.

6. Kaumarbhritya -- 1 month

Intern should be trained to acquaint with

a) Anti-natal and Post-natal problems and their remedies, anti-natal and Post-natal care also by Ayurvedic Principles and medicine.

b) Anti-natal and Post-natal emergencies.

3974 GI/10-3

c) Care of new born child alongwith immunization programme.

d) Important pediatric problems and their Ayurvedic managements.

B. PHC/Community Health Centre/District Hospital

Intern should get acquainted with-

i. Routine of the PHC and maintenance of their record.

ii. They should be acquainted with the routine working of the medical/non medical staff of PHC for the day and be always in contact with the staff in this period.

iii. They should be familiar with work of maintaining the register e.g. daily patient register, family planning register, surgical register and take active part in different Government health schemes.

iv. They should participate actively in different National Health Programmes.

Casualty Section of any recognized hospital of modern medicine.

Identification of casualty and trauma cases and their first aid treatment. Also procedure for referring such cases to identified hospitals.

Rural Ayurvedic dispensary/Hospital

Diseases more prevalent in rural and remote areas and their common treatment.

Teaching of health care methods to rural population and also various immunization programmes.

Assessment

After completing the assignment in various sections, they have to obtain a certificate from the head of the Section in respect of their devoted work in the section concerned and finally submitted to

Principal/Head of the institute so that completion of successful internship can be granted.

3. a. Under paragraph of 12 under the heading of Number of paper and marks for theory/practical the Sl.No.15 shall be substituted as under:-

Subject	No.of Papers	Total Marks in theory	Total Marks in practical/ oral.
15. Kaya Chikitsa	three	300	150

b. Under paragraph of 12 under the heading of Number of paper and marks for theory/practical the Sl.No.19 shall be added as under:-

Subject	No.of Papers	Total Marks in theory	Total Marks in practical/ oral.
19. Panchkarma	one	100	50

4. a. Under paragraph of 13.1 under the heading of the Number of Lectures practical & Demonstration for various subjects under sub-heading of 'Subjects of Third Professional' the Sl.No. 15 shall be substituted as under:-

SUBJECT	Lectures	Practicals & Demonstration
15. Kaya Chikitsa	300	9 months

b. Under paragraph of 13.1 under the heading of Number of Lectures practical & Demonstration for various subjects under sub-heading of 'Subjects of Third Professional' the Sl.No.19 shall be added as under:-

SUBJECT	Lectures	Practicals & Demonstration
19. Panchkarma	100	3 months

5. Under paragraph of 14 under the heading of the Note new Sl.No. 8 shall be inserted as under:-

Subject	Discipline of Post-graduate
8. Panchkarma	Kayachikitsa

P. R. SHARMA, Registrar-cum-Secy.

[ADVT III/4/124/10/Exty.]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.